...हय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

.................................बनाम ....

................./ अन्तर्गत धारा.................................

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 14/2/22 को पेश हो। Kamal	
अधिवक्तागण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व २ के संबध में प्रार्थना पत्र पेश नहीं। पत्रावली वास्ते पेश करने प्रार्थना पत्र दिनांक २/०3/२२ को पेश हो	
3/२२ अधिवक्तागण उपस्थित। प्रतिवादी स. 1 व २ के संबध मे प्रार्थना पत्र पेश नहीं। पत्रावली वास्ते पेश करने प्रार्थना पत्र दिनांक 16/3/२२ को पेश हो	
16 3/२२ अधिवक्तागण उपस्थित। वादी संख्या 1 व २ के संबध मे प्रार्थना पत्र पेश नहीं। पत्रावली वास्ते पेश करने प्रार्थना पत्र दिनांक २२/03/२२ को पेश हो	
२२ 3/२२ पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड ने पर्चा पैरवी पेश की शामिल मिसल की गई। प्रतिवादी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंग

अनवान ..... बनाम .....

प्रकरण संख्या ...../ अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि वादी संख्या 1 व 2 की मृत्यु हुए २ वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। वादी अधिवक्ता के द्वारा उनके विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने बाबत कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। वादीगण का दावा इसी स्तर पर खारिज किया जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि वादी सं. 1 व २ के विधिक वारिसान के द्वारा आज तक वकील वादी से सम्पर्क नहीं किया है। उचित आदेश फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया है। वादी स. 1 व २ की मृत्यु के संबंध मे दिनांक 15/02/21 को सूचित किया गया है। परन्तु इनके सम्बन्ध मे वादी अधिवक्ता के द्वारा आज दिनाक तक कोई प्रार्थना व दस्तावेजात वारिसान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

...म .... बनाम ....

...या संख्या .... अन्तर्गत धारा ....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
	को पक्षकार बनाने बाबत पेश नहीं किया है। वादी अधिवक्ता के द्वारा कथन किए गए कि वादीगण के विधिक वारिसान के द्वारा हमसे सम्पर्क नहीं किया गया है। लिहाजा वादी अधिवक्ता के द्वारा वादीगण के फौत होने के 90 दिवस की अवधि के भीतर विधिक वारिसान से सम्बन्धित दस्तावेजात हस्तगत प्रकरण मे पेश नहीं करने व विधिक वारिसान के द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण के विधिक वारिसान न्याय पाने के इच्छुक नहीं है। न्यायालय का समय बर्बाद किया जा रहा है। अत: वादीगण का वादपत्र अबेट हो जाने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर